न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
39/2025	10/06/2025	17/10/2025

सुनीता बाई पत्नि श्री मोडूलाल जाति गूजर निवासी देवपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीनी

बनाम

1– मोडूलाल पुत्र श्री मोरपाल जाति गूर्जर निवासी देवपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

2– राजन बाई पुत्री श्री मोरपाल जाति गूर्जर निवासी देवपुरा हाल निवासी सूण्डी पोस्ट अडवाड तह० श्योपुर जिला श्योपुर एमपी

3– राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वादी की ओर उपस्थित अधिवक्ता:– श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री हेमन्त राठौर एड0।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम देवपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा में आराजी खसरा नं. 333 रकबा 2.20 है०, वाके ग्राम देवपुरा में खसर नं. 244 रकबा 0.29 है०, खसरा नं. 268 रकबा 0.63 है०, ख.नं. 69 रकबा 0.60 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 हैक्टर कृषि भूमि स्थित थी, जिसका खातेदार काबिजी मोरपाल पुत्र बाला जाति गूर्जर निवासी देवपुरा था उपरोक्त कृषि भूमियां मोरपाल की स्वअर्जित सम्पति थी जो कि मोरपाल के आवंटित हुई थी। जो पैतृक सम्पति नही है। जिसको आगे वाद पत्र में विवादित कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है। खातेदार मोरपाल पुत्र बाला की मृत्यु दिनांक 23.4.2021 को हो चुकी है। मोरपाल पुत्र बाला ने दिनांक 9.6.2017 को रजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्र मोडूलाल की दो पत्नियों भरोसी बाई व सुनीता बाई के पक्ष में निष्पादित की थी कि मेरे एक पुत्र मोडूलाल है। जिसको मैंने अपने जीवनकाल में सम्पति दे दी है। मेरे पुत्र मोडूलाल की दोनों पत्नियों भरोसी बाई व सुनीता बाई के पक्ष में इनकी सेवा चाकरी से खुश होकर विवादित कृषि भूमि की वसीयत कर रहा हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद विवादित कृषि भूमि में मेरी दोनों बहुयें दोनों बहुयें राजस्व रिकॉर्ड में समभाग से रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी रहेगी। मोरपाल की मृत्यु के बाद रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 9.6.2017 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में भरोसी बाई व सुनीता बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए था किन्तु प्रतिवादी 1, 2 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके विवादित कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। जो कि कानूनन अवैध है। क्योंकि मौके पर कब्जा सुनीता बाई का है और लगान भी सुनीता जमा करवाती है और रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 9.6.2017 भरोसी बाई व सुनीता बाई के पक्ष में है। इसलिए वादीनी रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 9.6.2017 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। तथा राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी 1, 2 का नाम हटवाने की अधिकारी है। भरोसी बाई पत्नि मोडूलाल की मृत्यु दिनांक 13.09.2021 को हो चुकी हैं इसलिए भरोसी बाई को वाद पत्र में पक्षकार नहीं

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

बनाया गया है। दिनांक 6.6.2025 को प्रतिवादी 1, 2 ने विवादित कृषि भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी और कहा हम विवादित कृषि भूमि को बैचान करके रहेगें, इसलिए वादीनी प्रतिवादी कम 1, 2 के विरूद्ध राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिती बाबत स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने की अधिकारीणी है। वादीनी ने वसीयत दिनांक 9.6.2017 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए श्रीमान तहसीलदार साहब पीपल्दा से निवेदन किया किन्तु उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी गई इसलिए श्रीमान के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 06.06.2025 को प्रतिवादी 1, 2 द्वारा धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वादीनी व प्रतिवादी कम 2 ता 3 के पक्ष में निम्न आशय की डिकी पारित की जावे कि वाके ग्राम देवपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नं. 333 रकबा 2.20 है० ग्राम देवपुरा में आराजी खसरा नं. 244 रकबा 0.29 है०. खसरा नं. 268 रकबा 0.63 है०, खसरा नं. 69 रकबा 0.60 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 है०, कृषि भूमि में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 9.6.2017 के आधार पर वादीनी को खातेदार घोषित किया जावे और राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादी 1, 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे। प्रतिवादी 1, 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाके ग्राम देवपुरा तह० पीपल्दा जिला क़ोटा राज० में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 333 रकबा 2.20 है० व ग्राम देवपुरा में आराजी खसरा नं. 244 रकबा 0.29 है०, खसरा नं. 268 रकबा 0.63 है०, खसरा नं. 69 रकबा 0.60 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 है०, कृषि भूमि में प्रतिवादी 1, 2 वादीनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना वादीनी को बेदखल नहीं करे, विवादित कृषि भूमियों को रहन, बैचान वसीयत, दान आदि से हस्तान्तरित व खुर्द बुर्द नहीं करे, राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे, और न ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये। यदि दौराने वाद पत्र प्रतिवादी 1, 2 विवादित कृषि भूमि को हस्तान्तरित करने में कामयाब हो जाते हैं तो निष्पादित दस्तावेज को शून्य, अप्रभावी घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल दर्ज नहीं किया जावे।

वादी की ओर से वाद श्री गिरिराज कुशवाहा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1, 2 की ओर से हेमन्त राठौर एड0 ने वकालतनामा पेश किया तथा इकबाली जवाब पेश किया। वादिया व प्रतिवादीकम 1, 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो अग्रलिखित है। वादीया व प्रतिवादी कम 1, 2 के मध्य लोक न्यायालय की भावना से तथा समाज के लोग व रिश्तेदारों की समझाईस से राजीनामा हो गया है और राजीनामा के अनुसार वाद पत्र का निस्तारण करवाना चाहते है। राजीनामा के अनुसार वादीया सुनीता बाई के खातेदारी में निम्न कृषि भूमि रहेगी। वाके ग्राम देवपुरा खसरा नं. 333 रकबा 220 हैक्टर (सम्पूर्ण), वाके ग्राम देवपुरा खसरा नं. 244 रकबा 0.29 हैक्टर (सम्पूर्ण), खसरा नं. 69 रकबा 0.60 हैक्टर में से 0.28 हैक्टर, राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी कम 2 राजन बाई के खातेदारी में निम्न कृषि भूमि रहेगी। वाके ग्राम देवपुरा खसरा नं. 268 रकबा 0.63 हैक्टर (सम्पूर्ण), खसरा नं. 69 रकबा 0.60 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर, राजीनामा के अनुसार वाके ग्राम देवपुरा खसरा नं. 333 रकबा 2.20 हैक्टर व वाके ग्राम देवपुरा में खसरा नं. 244 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नं. 268 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा नं. 69 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

कम 1 मोडूलाल का सम्पूर्ण हिस्सा वादिया सुनीता बाई के खातेदारी में दर्ज कर दिया जावे।

वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामे अनुसार वादीया सुनीता बाई के खातेदारी में ग्राम देवपुरा खसरा नं. 333 रकबा 2.20 हैक्टर (सम्पूर्ण), ग्राम देवपुरा खसरा नं. 244 रकबा 0.29 हैक्टर (सम्पूर्ण), खसरा नं. 69 रकबा 0.60 हैक्टर में से 0.28 हैक्टर, प्रतिवादी कम 2 राजन बाई के खातेदारी में ग्राम देवपुरा खसरा नं. 268 रकबा 0.63 हैक्टर (सम्पूर्ण), खसरा नं. 69 रकबा 0.60 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर, राजीनामा के अनुसार वाके ग्राम देवपुरा खसरा नं. 333 रकबा 2.20 हैक्टर व वाके ग्राम देवपुरा में खसरा नं. 244 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नं. 268 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा नं. 69 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी कम 1 मोडूलाल का सम्पूर्ण हिस्सा वादिया सुनीता बाई के खातेदारी में दर्ज किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिकी जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

सहायक कलेक्टर
फास्ट ट्रैक इटावा

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
39/2025	10/06/2025	17/10/2025

सुनीता बाई पत्नि श्री मोडूलाल जाति गूजर निवासी देवपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीनी

बनाम

1– मोडूलाल पुत्र श्री मोरपाल जाति गूर्जर निवासी देवपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

2– राजन बाई पुत्री श्री मोरपाल जाति गूर्जर निवासी देवपुरा हाल निवासी सूण्डी पोस्ट अडवाड तह० श्योपुर जिला श्योपुर एमपी

3– राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वादी की ओर उपस्थित अधिवक्ता:– श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।

प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री हेमन्त राठौर एड0।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री गिरिराज कुशवाहा एड0 एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया सुनीता बाई के खातेदारी में ग्राम देवपुरा खसरा नं. 333 रकबा 220 हैक्टर (सम्पूर्ण), ग्राम देवपुरा खसरा नं. 244 रकबा 0.29 हैक्टर (सम्पूर्ण), खसरा नं. 69 रकबा 0.60 हैक्टर में से 0.28 हैक्टर, प्रतिवादी कम 2 राजन बाई के खातेदारी में ग्राम देवपुरा खसरा नं. 268 रकबा 0.63 हैक्टर (सम्पूर्ण), खसरा नं. 69 रकबा 0.60 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर, राजीनामा के अनुसार वाके ग्राम देवपुरा खसरा नं. 333 रकबा 2.20 हैक्टर व वाके ग्राम देवपुरा में खसरा नं. 244 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नं. 268 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा नं. 69 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी कम 1 मोडूलाल का सम्पूर्ण हिस्सा वादिया सुनीता बाई के खातेदारी में दर्ज किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 17.10.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

इटावा जिला कोटा (राज.)

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)